बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2024 ई० ।

संख्या-1स्था०-12/2023 167 / वि०स० । बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 22 के अधीन वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त परामर्श के आलोक में अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी, सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसम्पर्क संवर्ग के जनसंपर्क पदाधिकारी एवं सुरक्षा संवर्ग के मार्शल की विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद के माध्यम से लिये जाने हेतु निम्न पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विर्निदिष्ट करते है :

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2024

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2024 कहा जा सकेगा ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी एवं मार्शल की विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद के माध्यम से लिये जाने हेतु निम्न पाठ्यक्रम एवं विषय वही होगा जो नीचे वर्णित है -

सेवा संवर्ग	विषय
बिहार विधान सभा सचिवालय सेवा	1. हिन्दी लिखित (कोड 01) 2. कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड 02) 3. सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड 07) 4. बिहार विधान सभा के कार्यों से संबंधित विशेष प्रश्न पत्र

उपर्युक्त अंकित-1 से 3 तक के विषयों का पाठ्यक्रम राजस्व पर्षद, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पाठयक्रम के समरूप होगा । क्रमांक 4 पर अंकित विशेष प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय - भारत का संविधान, बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, बिहार विधान मंडल (सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(राज कुमार)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-12/2023 168 / वि०स०, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः-महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, बिहार, पटना / वित्त (वैं०दा०नि०को०) कोषांग, बिहार सरकार एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.01.2024

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक ।स्था० 12/2023 168 / वि०स०, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2024 ई० ।

प्रति: प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.01.2024

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक ।स्था० 12/2023 168 / वि०स०, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2024 ई० ।

प्रति: सभी निदेशक / उप सचिव / संयुक्त निदेशक / अवर सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारीगण / सभी पदाधिकारी / नियुक्ति कोषांग / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा (बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) एवं स्थापना शाखा (02 प्रतियों में), बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.01.2024

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक ।स्था० 12/2023 168 / वि०स०, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2024 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ ।

12.01.2024

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक ।स्था०-12/2023 168 / वि०स०, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2024 ई० ।

प्रति: अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

12.01.2024

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

12-01-24